<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>1/08/2025</u>

<u>ईडी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहली बार तलाशी अभियान चलाया</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अंडमान निकोबार राज्य सहकारी बैंक (एएनएससीबी) धोखाधड़ी मामले में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अपना पहला तलाशी अभियान चलाया। पोर्ट ब्लेयर और उसके आसपास के 9 स्थानों और कोलकाता में 2 स्थानों पर 31.07.2025 को तलाशी ली गई। आगे, 31.07.2025 को तलाशी के दौरान पहचानी गई कुछ फर्जी कंपनियों और अन्य के संबंध में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10 और स्थानों पर तलाशी ली जा रही है।

ईडी ने अंडमान निकोबार पुलिस के अपराध एवं आर्थिक अपराध विभाग द्वारा बैंक के विभिन्न निजी व्यक्तियों और अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर इस मामले में जांच शुरू की।

अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तलाशी के दौरान, एएनएससी बैंक द्वारा ऋण और ओवरड्राफ्ट सुविधाएँ प्रदान करने में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितताओं की ओर इशारा करने वाले कई अपराध-संकेती दस्तावेज़ बरामद हुए हैं। अब तक एकत्र किए गए साक्ष्यों से संकेत मिलता है कि बैंक की निर्धारित प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों की अनदेखी करके 100 से अधिक ऋण खातों के माध्यम से विभिन्न फर्मों और फर्जी कंपनियों के नाम पर ऋण सुविधाएँ प्रदान की गईं। तलाशी से लगभग 100 करोड़ रुपये की संपत्ति के दस्तावेज़ों की पहचान और बरामदगी भी हुई है।

तलाशी से यह भी पता चला है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूर्व सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कई फर्जी कंपनियां बनाईं और इन संस्थाओं/कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी से अंडमान और निकोबार राज्य सहकारी बैंक से 500 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण सुविधाएं ली गईं। ऋण राशि को विभिन्न फर्जी संस्थाओं के माध्यम से हस्तांतरित (डायवर्ट) और गबन किया गया। यह भी पता चला है कि इन ऋणों का एक बड़ा हिस्सा नकद में निकाला गया और पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा सहित बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को रिश्वत के रूप में भुगतान किया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा हाल तक अंडमान निकोबार राज्य सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत थे।

आगे की जांच जारी है।